(ii) Safdarjang Hospital :

	Rs.
1971-72 . . .	187 lakhs
1972-73	197 lakhs
1973-74	201·46 lakhs

(c)—(i) Willingdon Hospital :

	Out-door	In-door
1971 : . . .	604222	19674
1972 : . . .	620755	24049
1973 : . . .	663664	28153

(ii) Safdarjang Hospital :

1971 . .	803539	65729
1972 . . .	930217	70365
1973 : . . .	994571	71316

बालाघाट जिले में पाया गया तांबा

1927 **श्री हुकम चन्द कछवाय** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बालाघाट जिले से ताम्बे के बृहत भण्डारो का पता लगा है, और

(ख) यदि हा, तो ताम्बे का खनन कार्य तथा शोध संयत्र स्थापित किये जाने का कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हा ।

(ख) बालाघाट जिले मे मालजखण्ड ताम्र निक्षेपो के विकास के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा अक्टूबर 1973 मे एक सोवियत एजेसी के साथ एक समझौता किया गया था। चूकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है अत. खानों के विकास के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था तथा अन्य ब्यौरों के बारे में अभी कुछ बताना सम्भव नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र में चूना पत्थर का विदोहन

1928. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूना पत्थर तथा स्फोडिज वाले विशाल क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्रों मे विदोहन के लिये सुरक्षित रखा गया है ;

(ख) क्या इस समय इन क्षेत्रों में खनन कार्य चल रहा है , और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रो को गैर-सरकारी खनन पट्टेदारो को खनन के लिये खुला घोषित न करने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश मे कुछ क्षेत्र जिसमें लगभग 72 गाव है और जिसमे चूना पत्थर पाया जाता है, सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है । कुछ सुरक्षित क्षेत्रो मे अन्वेषण कार्य किया गया है और उन भण्डारो को निकालने के प्रश्न पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है । चूना पत्थर वाले कुछ क्षेत्रो को आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के प्रश्नो पर राज्य सरकार की सिफारिशें मिल जाने पर विचार किया जाएगा ।

स्फोडिज के बारे मे जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

सार्वजनिक खनन संस्थाओं द्वारा अधिकार शुल्क (रायल्टी की अदायगी)

1929 **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक खनन संस्थाओं द्वारा अधिकार